**साझेदारी-विलेख**

**(Deed of Partnership)**

साझेदारी का यह विलेख आज दिन ............ माह ............ सन् ............ को

(1) श्री ............. S/o ............ R/o ............ (आगे जो प्रथम पक्षकार कहा जायेगा) ।

**तथा**

(2) श्री ............. S/o ............ R/o ............ (जो आगे द्वितीय पक्षकार कहा जायेगा) के मध्य लिखा गया ।।

जो कि दोनों पक्षकार/भागीदार साझे में व्यवसाय करने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहमत होते हैं :

1. यह कि भागीदार ............ नाम और स्टाइल में व्यवसाय करेंगे।
2. यह कि भागीदारी दिनांक ............ से प्रारम्भ समझी जायेगी और निम्न प्रकार से तथा निम्न तरीके से चालू रहेगी।
3. यह कि भागीदारी व्यवसाय ............ का होगा।
4. यह कि भागीदारी व्यवसाय ............ पर चलाया जायेगा और उस स्थान अथवा स्थानों पर जिन्हें भागीदार आपस में समय-समय पर सुनिश्चित करें।
5. यह कि भागीदारी का बैंक खाता ............ बैंक में अथवा अन्य ऐसे बैंक में जिस पर आपसी सहमति हो, खोला जायेगा। उक्त बैंक खाता भागीदारों द्वारा सम्मलित रूप से और पृथकपृथक संचालित किया जायेगा।
6. यह कि उक्त भागीदार, भागीदारी की पूँजी का, समान रूप से प्रबन्ध करेंगे। भागीदारों को उनके द्वारा लगाई गई पूँजी पर @ ............% प्रतिवर्ष ब्याज भुगतान किया जायेगा।
7. यह कि व्यवसाय के लाभ को भागीदारों के मध्य प्रत्येक को निम्न अनुपात में बाँटा जायेगा।

प्रथम भाग के पक्षकार को ............ 50%

द्वितीय भाग के पक्षकार को ............. 50%

व्यवसाय की हानियों को भी जिसमें पूँजीगत हानि भी सम्मलित है को पक्षकारों के मध्य बराबर बाँटा जायेगा जो कि दोनों भागीदारों को बराबर अनुपात में वहन करना होगा।

1. यह कि प्रत्येक भागीदार फर्म के खाते से प्रतिमाह अंकन रु० ............ आहरित कर सकेगा अथवा वह धनराशि जो भी भागीदारों के मध्य आपस में तय की जाये किसी प्रकार से यदि वर्ष भर में किया गया आहरण किसी भी भागीदार का उसके लाभ के भाग से अधिक हो जाता है तो वह अधिक निकाली गई धन राशि को वापिस जमा कर देगा।
2. यह कि लेखा सम्बन्धी वाँछित और आवश्यक बहियाँ फर्म में रखी जाँयेगी और प्रत्येक वर्ष के अन्त में अभिलेखों की लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कराई जायेगी।
3. यह कि भागीदार अपना पूर्ण समय और ध्यान फर्म के व्यवसाय में देंगे।
4. यह कि यदि कोई भागीदार ............ फर्म से पृथक होना चाहे तो वह दूसरे भागीदार

तीन माह का नोटिस देकर कि वह फर्म से पृथक होना चाहता है, पृथक हो सकता है।

1. यह कि भागीदारी अथवा विलेख के सम्बन्ध में किसी भी विवाद की स्थिति में प्रकरण चाट निणय हेतु भेजा जायेगा और प्रत्येक भागीदार को एक मध्यस्थ को नियुक्त करने का अधिकार होगा । उक्त पंचाट मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1956 के द्वारा नियंत्रित होगा।

दिनांक ............ साक्षीगण 1............. भागीदार स० 1 श्री.......... हस्ताक्षर

साक्षीगण 2.............. भागीदार स० 2 श्री ............. हस्ताक्षर